

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/163
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00157
CICOM/R/2017/00226

दिनांक: 01.05.2017

अपीलकर्ता : श्री सुनील कुमार गया प्रसाद मिश्रा,
सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन,
आशीर्वाद थियेटर कॉम्प्लेक्स,
ग्रेट नाग रोड, नागपुर - 440003.

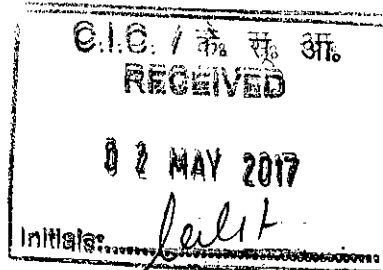
निर्णय की तारीख: 01.05.2017

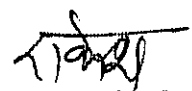
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.02.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.03.2017, 27.03.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. एल. गुप्ता, श्री जीवन चन्द्र
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.04.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	127114/25.04.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	196/01.05.2017

- अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दो बिंदुओं पर सूचना मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर.एल.गुप्ता एवं श्री जीवन चन्द्र, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से असंतुष्ट होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
- प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्हें आवेदन के बिंदु सं. 2 की जानकारी नहीं दी गई है। संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदन के बिंदु सं. 2 के संदर्भ में श्री आर.एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही एवं तथ्यपरक है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

चूंकि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस-दस रु० के दो भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 21 एफ 177159 एवं 21 एफ 177160 आपको वापस किए जाते हैं।

संलग्नक : यथोपरि।




(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

o/c
AJM
2/05/17